भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः *252

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए मानदंड"

***252. श्री मुरारी लाल मीनाः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की निर्धारित सीमा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मानदंडों की समीक्षा की है, यदि हां, तो ऐसी समीक्षा पिछली बार कब की गई थी और उसका क्या परिणाम रहा है;

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का महंगाई और शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 18/03/2025 को उत्तर देने के लिए नियत श्री मुरारी लाल मीना द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 252 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लिए क्रियान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विहित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि राज्य सरकारों/संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद तय की जाती है और तदनुसार योजना के मानदंड सक्षम प्राधिकारी/स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। समीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड और प्रत्येक योजना के निष्कर्ष **संलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): योजना के दिशानिर्देश जरूरत के अनुसार समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं और परिवार की वार्षिक आय सीमा और छात्रवृत्ति की राशि से संबंधित मुद्दे पर निर्णय तब लिया जाता है जब मंत्रालयों/विभागों सहित हितधारकों के परामर्श से ऐसे संशोधन किए जाते हैं।

संलग्नक-I

दिनांक 18/03/2025 को उत्तर देने के लिए नियत श्री मुरारी लाल मीना द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 252 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा:-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**आय सीमा (प्रति वर्ष)**	
		अनुसूचित जातियों के लिए	**अनुसूचित जनजातियों के लिए**
(i)	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2.50 लाख रुपए	2.50 लाख रुपए
(ii)	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजनाएं	2.50 लाख रुपए	2.50 लाख रुपए
(iii)	टॉप क्लास शिक्षा	8.00 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए
(iv)	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना	8.00 लाख रुपए	6.00 लाख रुपए
(v)	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना	8.00 लाख रुपए	ऐसी कोई योजना नहीं है
(vi)	राष्ट्रीय फेलोशिप योजना	कोई वार्षिक पारिवारिक आय विहित नहीं	कोई वार्षिक पारिवारिक आय विहित नहीं

संलग्नक-II

दिनांक 18/03/2025 को उत्तर देने के लिए नियत श्री मुरारी लाल मीना द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 252 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जातियों के लिए

अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति दरों में संशोधन (रुपये में)

योजना का नाम	उप श्रेणी	संशोधन से पहले प्रति वर्ष वजीफा	छात्रवृत्ति दरों में अंतिम संशोधन का वर्ष	2023-24 संशोधन के बाद प्रति वर्ष वजीफा
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	डे स्कॉलर	3000.00	2021-22	3500.00
	छात्रावासी	6250.00	2021-22	घटक-I:- 7000 घटक-II:-8000
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	डे स्कॉलर समूह1	5500.00	2020-21	7000.00
	डे स्कॉलर समूह2	5300.00	2020-21	6500.00
	डे स्कॉलर समूह3	3000.00	2020-21	3000.00
	डे स्कॉलर समूह4	2300.00	2020-21	2500.00
	छात्रावासी समूह1	12000.00	2020-21	13500.00
	छात्रावासी समूह2	8200.00	2020-21	9500.00
	छात्रावासी समूह3	5700.00	2020-21	6000.00
	छात्रावासी समूह4	3800.00	2020-21	4000.00
टॉप क्लास शिक्षा	पुस्तकें और स्टेशनरी	3000.00	2022-23	5000.00
	कंप्यूटर भत्ते (पाठ्यक्रम में एक बार)	45000.00	कोई परिवर्तन नहीं	45000.00
	वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता	29640.00	2020-21	41000.00
राष्ट्रीय फेलोशिप	प्रथम दो वर्ष (एम.फिल/पी.एच.डी.)	31000.00	2023-24	37000.00**
	अंतिम तीन वर्ष (पी.एच.डी.)	35000.00	2023-24	42000.00**
राष्ट्रीय ओवरसीज	(क) यू.एस.ए. और अन्य देशों के लिए वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता (अमेरिकी डालर में)	14000.00	2013-14	15400.00
	(ख) यू.के. के लिए वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता (जी.बी.पी. में)	9000.00		9900.00
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और पीएम-केयर्स लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	पाठ्यक्रम फीस	कोई नियत धनराशि नहीं	2022-23	20000.00 to 75000.00
	वजीफा	3000.00 (स्थानीय छात्रों के लिए) और 6000.00 (आउटस्टेशन छात्रों के लिए)		4000.00

अनुसूचित जनजातियों के लिए

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति दरों में संशोधन (रुपये में)				
योजना का नाम	उप-श्रेणी	संशोधन से पहले प्रति वर्ष वजीफा	छात्रवृत्ति दरों में अंतिम संशोधन का वर्ष	2023-24 संशोधन के बाद प्रति वर्ष वजीफा
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	डे स्कॉलर	1500.00	2019-20	2250.00
	छात्रावासी	3500.00	2019-20	5250.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति*	डे स्कॉलर समूह 1	5500.00	कोई परिवर्तन नहीं	5500.00
	डे स्कॉलर समूह 2	5300.00	कोई परिवर्तन नहीं	5300.00
	डे स्कॉलर समूह 3	3000.00	कोई परिवर्तन नहीं	3000.00
	डे स्कॉलर समूह 4	2300.00	कोई परिवर्तन नहीं	2300.00
	छात्रावासी समूह 1	12000.00	कोई परिवर्तन नहीं	12000.00
	छात्रावासी समूह 2	8200.00	कोई परिवर्तन नहीं	8200.00
	छात्रावासी समूह 3	5700.00	कोई परिवर्तन नहीं	5700.00
	छात्रावासी समूह 4	3800.00	कोई परिवर्तन नहीं	3800.00
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	पुस्तकें और स्टेशनरी	3000.00	2022-23	5000.00
	कंप्यूटर भत्ता (पाठ्यक्रम में एक बार)	45000.00	कोई परिवर्तन नहीं	45000.00
	वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता	26400.00	2022-23	36000.00
राष्ट्रीय फैलोशिप	प्रथम दो वर्ष (एम.फिल/पी.एच.डी.)	31000.00	2023-24	37000.00**
	पिछले तीन वर्ष (पी.एच.डी.)	35000.00	2023-24	42000.00**
राष्ट्रीय ओवरसीज	(क) यू.एस.ए और अन्य देशों के लिए वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता (अमेरिकी डॉलर में)	14000.00	2013-14	15400.00
	(ख) यूके के लिए वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता (जीबीपी में)	9000.00		9900.00

*छात्रवृति दरों में अंतिम संशोधन दिनांक 01.07.2010 से हुआ था

**यूजीसी के मानदंडों के अनुसार

*****